**National Journal of Multidisciplinary Research and Development**
**ISSN: 2455-9040; Impact Factor: RJIF 5.22**
**www.nationaljournals.com**
**Volume 2; Issue 2; May 2017; Page No. 253-255**

# समाज में महिला सुरक्षा हेतु कानून एवं पुलिस की भूमिका सांराश

**नुसरत**
शोध छात्रा, डी0 एस0 बी0 परिसर, नैनीताल, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड, भारत।

## प्रस्तावना

सदियों से विश्व की लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या 'महिला' के उध्यार कल्याण व विकास की लहर 1970 के दशक में पूरे विश्व में दौड़ गयी। उनके कल्याण व विकास को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का प्रयास किया गया। धीरे–धीरे उनमें अपने अधिकारो के प्रति सजगता बढ़ी तथा अपनी स्थिति में सुधार के प्रति आशा की किरण का संचार हुआ। 1975 को "अर्न्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाये जाने के कारण विश्व मंच पर महिला समस्याओ व मुद्दो को प्रकाश में लाया गया। विश्वभर में महिला आन्दोलन जोर पकड़ने लगा तथा इसके अलावा 'महिला' विश्व भर में अनुसंधान कार्यो का एक प्रमुख विषय बन गई। परिणामस्वरूप विश्वपटल महिलाओ की महत्तवपूर्ण भूमिका विभिन्न समाजो में उनकी स्थिति, उनकी प्रवृत्ति, उनके विचार उनके दृष्टिकोण आदि को लाने का प्रयत्न किया जाने लगा। उनकी समाजिक स्थिति में सुधार एवं सुरक्षा हेतु अनेक अधिनियम पारित किये गये। जिससे उनकी समाजिक स्थिति मे सुधार हुआ तथा उनकी राजनैतिक क्षेत्र में भी सहभागिता बढ़ी। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इन सुधारों तथा महिला आन्दोलनो के पश्चात समाज मे महिलाएं सुरक्षित हैं? इन सब बातो को संज्ञान में लेते हुए हम 'समाज में महिला सुरक्षा हेतु कानून एंव पुलिस की भूमिका' का वर्णन करेगे।

## उद्देश्य

- महिला सुरक्षा के स्तर का अध्ययन करना।
- महिलाओं की सुरक्षा में पुलिस की सक्रियता का अध्ययन करना।
- महिला सुरक्षा हेतु बनाये गये कानूनों के प्रभाव का अध्ययन करना।

## शोध क्रिया विधि

प्रस्तुत शोध पत्र में बिषय से सम्बन्धित तथ्यों के सकंलन हेतु द्वितीयक स्त्रोतों जैसे – पुस्तक, पत्रिकाओं, शोध ग्रन्थों का अध्ययन किया गया है। एवं साथ ही विश्लेष्णात्मक एवं वर्णनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है।

## समाज में महिलाओं की स्थिति

भारत के प्रसिद्ध देश है जो प्राचीन समय से ही अपनी सभ्यता, संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत, परंपरा धर्म और भौगोलिक विशेषताओ के लिए जाना जाता है। जबकि दूसरी ओर यह पूरूषवादी राष्ट्र के रूप में भी जाना जाता है तथा महिलाओ को समाज में निम्न समझा गया है केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी महिलाओं को अपमान व तिरस्कार से जूझना पड़ रहा है। यद्यपि मानव समाज महिला दोनों की सम्मिलित रचना है व समाज के ढाँचे को सवाँरने में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। विश्व में महिलाओ की जनसंख्या 50 प्रतिशत है किन्तु यह आधी जनसख्या पुरूष प्रधान समाज में पुरूष निर्मित नियमो के तहत किसी तरह से जीवन–यापन कर रही है। यादि हम भारतीय महिलाओ की स्थिति पर भिन्न भिन्न कालो के आधार पर ध्यान दें तो पायेंगे कि वैदिक काल में नारी प्रत्येक पग पर पुरूष की सहगामिनी हुआ करती थी उसे शिक्षा व वेद पढ़ने का अधिकार था। वह सामाजिक नीतियों के निर्धारण नियन्त्रण व संचालन में अत्याधिक महत्वपूर्ण योगदान दे सकती थी। मैत्रेयी, मार्गी व लीलावती के रूप में हमें उस युग के अनेक उदाहण मिल सकते हैं। जो न केवल उच्च स्तरीय विदूषिया थी। परन्तु समय के साथ नारी की दशा गिरती गई तथा मध्यकाल तक का युग नारीजाति के लिए बहुत अधंकारमय रहा। इस काल में पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा विवाह विच्छेद की समस्या अन्तर्राष्ट्रीय विवाह तथा कन्या व्यापार जैसी समस्याएँ उत्पन्न हुई।

भारत में अंग्रेजो के आगमन तथा उनके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा के प्रारम्भ ने समाज के विचारो मनोवृत्तियो व मूल्य को काफी प्रभावित किया। यही वह समय था जब नारी व परिवार संबंधी मान्यताएँ बदलने लगी। स्त्री पुरूष की समानता को महत्व दिया जाने लगा। संवैधानिक सुधारो के लागू होने पर भारतीय नारी को मताधिकार का राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुआ संविधान मत व्यवस्था के पश्चात महिलाओ की स्थिति संवैधानिक दृष्टि से तो सुदृढ़हो गई किन्तु वास्तविक रूप में महिलाएँ आज भी शोषण व उत्पीड़न की शिकार बनी हुई है।

यदि हम इस्लाम धर्म की बात करे तो कुरान में पुरूष और स्त्री को एक समान समझा गया है और वह स्त्रियो को धर्म के मार्ग में बाधक नहीं मानता हालांकि कुरान ने उस समय की परिस्थिति देखते हुए स्त्रियो को काफी उच्च स्थिति प्रदान की थी लेकिन शताब्दियो में कुरान शरीफ की आयतो की विभिन्न व्याख्याओ ने उन्हें निम्न स्थान दे दिया स्त्रियो के विधवा हो जाने पर विवाह विच्छेद तथा पुनर्विवाह की इजाजत है। विधवा हो जाने पर स्त्रियो को सम्पत्ति की वसीयत प्राप्त करने तथा व विवाह–विच्छेद के विरूद्ध 'मेहर' का अधिकार है। लेकिन समाज मे इन अधिकारो को अच्छा न समझे जाने के कारण इन अधिकारो को कोई समर्थन नहीं मिल पाता। इसलिए कह सकते हैं कि सभी धर्मो द्वारा स्त्रियो को दिये गये स्थान में कोई खास अन्तर नहीं है। अन्तर है तो पुरूष मानसिकता का, क्योंकि कुछ समाजो में पुरूष मानसिकता ने ही स्त्रियो की दशा निम्नतर कर दी है लेकिन बदलते समय के साथ महिलाएँ अपने अधिकारो के प्रति जागरूकता होकर सामाजिक आर्थिक एंव राजनीतिक रूप में सशक्त हो रही है।

## महिला सुरक्षा हेतु कानूनी प्रावधान

भारत के संविधान में महिलाओ को पुरूषो के समान अधिकार दिये गये हैं। अनुच्छेद 14 समता का अधिकार तथा अनुच्छेद–15 स्पष्ट शब्दो में बताता है कि राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति लिंग जन्म के आधार पर नागरिक के बीच विभेद नहीं करेगा। सविधान मे समानता का प्रवाधान होने के पश्चात भी वर्तमान समय में महिला सुरक्षा एक विकराल समस्या बन चुकी है। महिलाएँ कहीं

भी सुरक्षित नहीं है चाहे ग्रामीण इलाके हो या शहरी चाहे महिला शिक्षित हो या अशिक्षित। सभी किसी न किसी प्रकार का उत्पीड़न सहने के लिए बाध्य है। दिल्ली का यामिनी कांड हो या राजस्थान भंवरी देवी कांड या जेसिका लाल केस यें सभी इंगित करते हैं कि महिला न घर पर सुरक्षित है बाहर। आय दिन टी0बी0 समाचार पत्रो तथा न्यूज चैनलो के माध्यम से हम महिलाओ की स्थिति एंव उनकी सुरक्षा का अंदाजा लगा सकते हैं कि वह कितनी सुरक्षित है। लेकिन जहाँ एक ओर महिलाओं को शोषित एवं उतपीड़ित किया जाता है वही महिलाओं की सुरक्षा हेतु अनेक कानून तथा नियम बनाये गये हैं जिससे महिलाएं जागरूक होकर शोषण से मुक्ति पा सके। हमारे संविधान निर्माताओं ने तथा संसद सदस्यो ने अनुच्छेद–23 एवं 24 तथा उसके विरूद्ध होने वाले किसी भी प्रकार को शोषण के खत्म करने की भावना के साथ ही सन् 1956 में एक अधिनियम पारित किया गया जिसे "सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्राफिक इन वुमेन एण्ड गर्ल्स एक्ट" का नाम दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद–23 एवं 24 को बल मिला तथा महिलाओं को शोषण से काफी मुक्ति मिली।

इसी तरह अनुच्छेद– 35 (द) में स्पष्ट शब्दों में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है। जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुयी है। अनुच्छेद–42 के अन्तर्गत महिलाओं को विशेष प्रसूति अवकाश प्रदान करने की बात कही गयी है जो समाज में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। संविधान के अनुसार अनुच्छेद–325 के तहत निर्वाचक नामावली में समान रूप से महिला एवं पुरूष को सम्मिलित करने का प्रावधान है। इन सब प्रावधानों के पश्चात् समाज में महिलाएं जागरूक होकर सशक्त हुयी है तथा उनमें सुरक्षा का स्तर बढ़ा है।

### भारतीय दण्ड संहिता 1860

भारतीय दण्ड संहिता में भी महिलाओं पर होने वाले अत्याचार एवं निदर्यता के विरूद्ध सजा देने की व्यापक व्यवस्था की गयी है। धारा–312 के तहत किसी गर्भवती स्त्री का गर्भपात स्वेच्छा से कराने वाले को तीन वर्ष की सजा अथवा जुर्माना दोनों से दण्डित किया जाता है। हमारी संसद ने यह अधिनियम पारित करके महिलाओं को शारीरिक एवं मानसिक शोषण से मुक्ति दिलायी तथा उनको समाज में सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया। इसी प्रकार दण्ड संहिता की धारा–354–के अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्त्री की लज्जा भंग करता है तो उसे दो वर्ष की सजा अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

धारा–375–के तहत बलात्कार को परिभाषित किया गया है यदि कोई पुरूष स्त्री की सहमति के विरूद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो ऐसे व्यक्ति को दस वर्ष की कठोर कारावास तथा जुर्माना दोनो से दण्डित किया जायेगा।

धारा 292 से 294–के अनुसार विशिष्टता एवं सदाचार को प्रभावित करने वाले मामलो पर रोक लगायी गयी है। इसके अनुसार अगर कोई स्त्रियों की नंगी तस्वीरें प्रदर्शित करता है अथवा क्रय–विक्रय करता है तो ऐसे अपराध के लिए दो वर्ष की सजा एवं दो हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनों दण्ड दिये जा सकेंगे।

### दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961

सन् 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने दहेज को एक समाजिक समस्या तथा मानव मात्र पर एक कलंक एवं कुप्रथा मानते हुए एक कानून पारित कराया जिसे 'दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961' नाम दिया गया। जिसके द्वारा दहेज जैसी गम्भीर समस्या पर अंकुश लगाने की कोशिश की गयी। इस अधिनियम के महत्व को ध्यान में रखते हुए कमियां एवं खामियां पायी जाने पर इस कानून में समय–समय पर संशोधन किये गये जिससे महिलाओं को दहेज जैसी समस्या से छुटकारा मिल सके तथा वह समाज में स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सके। इसके अतिरिक्त– विशेष विवाह अधिनियम –1954, हिन्दु विवाह तथा विच्छेद अधिनियम–1955, हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम–1956 आदि। यह अधिनियम समाज में महिला सुरक्षा के लिए स्थापित किये गये तथा इन अधिनियमो के माध्यम से काफी हद तक महिलाएँ स्वयं को समाज में सुरक्षित महसूस करती है।

### दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

इस दण्ड प्रक्रिया संहिता में निहित प्रावधान विशेषकर महिलाओं के लिए बनाये गये हैं। संहिता की धारा 47 (2) तथा धारा–51 (2) तथा धारा 53 (2) के अन्तर्गत महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखा गया है। यदि कोई अपराध में पुलिस तलाशी लेती है तो महिला के लिए महिला पुलिस ही तलाशी लेंगी। इसी कारण धारा 304 के तहत अभियुक्त को न्यायालय ही वकील उपलब्ध करेगा तथा राज्य इसका व्यय करेगा।

इस प्रकार इन सब अधिनियमों के प्रावधानों से समाज में स्त्री सुरक्षा को बढ़ावा मिला है तथा वह इन कानून के माध्यम से स्वयं को सुरक्षित महसूस करती है तथा काफी हद तक सुरक्षित होकर सशक्त हो रही है।

### महिला सुरक्षा में पुलिस की भूमिका

भारतीय संविधान में प्रति सिपाही से लेकर पुलिस महा–निदेशक की कसम खाने वाली भारतीय पुलिस को नागरिक पुलिस की संज्ञा दी गयी है। नागरिकों की सुरक्षा, समाज में शान्ति कायम रखना, अपराधों की रोकथाम, अपराधियो को पकड़ना तथा राज्य निर्मित कानून एवं नियमों का पालन अर्थात् सफलतापूर्वक नियमन का उत्तरदायित्व जिस संस्था द्वारा निर्वहन किया जाता है, उसे पुलिस कहा जाता है।

समाज में महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न तथा शोषण जैसी समस्याओं के समाधान में पुलिस की एक अहम भूमिका है। यदि समाज में कोई घटना घटित होती है तथा घटना महिला से सम्बन्धित है तो पुलिस का कर्तव्य है कि वह न केवल अपराध की सूचना मिलने पर कार्यवाही करें वरन् अपराध की रोकथाम के लिए शीघ्र कदम उठाये। यदि किसी महिला के साथ छेड़छाड़ , दहेज हत्या, बलात्कार जैसी घटना घटित होती है तो पीड़ित महिला अपनी शिकायत पुलिस में दर्ज कराती है तथा पुलिस महिला से यह जानने का प्रयत्न करती है कि घटना कैसे घटित हुई तथा घटना की जानकारी के पश्चात् के पुलिस अपनी कार्यवाही प्रारम्भ का देती है तथा अपराधी का पता लगाकर अपनी भूमिका का निर्वाह करती है। वर्तमान में महिलाएँ न तो घर में सुरक्षित है और न बाहर। आय दिन महिला अत्याचार, छेड़छाड़, दहेज प्रताड़ना आदि की घटनायें घटित हो रही है तथा अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करके अपनी भूमिका को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त पुलिस अपराधों को रोकने के लिए सरकारी विभागों व संस्थाओं को अपराध रोकने में गहन सहयोग करती है। कई बार समाज में आपसी झगड़े विकराल रूप ले लेते हैं। जिनमें कुछ महिलाओं से भी सम्बन्धित होते हैं, ऐसे झगड़ों में पुलिस मध्यस्थ की भूमिका निभाकर शान्तिपूर्ण निपटारा करती है।

यदि हम वर्तमान समय में देखे तो पुलिस अपनी भूमिका का निर्वाह सही ढंग से नहीं करती जिससे आज पुलिस के प्रति जनता का विश्वास समाप्त होता जा रहा है आज के समय में यदि कोई पीड़ित महिला अपनी शिकायत दर्ज कराती है तो पुलिस अपनी कार्यवाही तुरन्त नहीं करती तथा कई बार पुलिस पीड़ित पक्ष के साथ अभद्र व्यवहार करती है। समाज मे महिलाओं की सुरक्षा में

पुलिस की मुख्य भूमिका होती है। परन्तू यथार्थ में ऐ नहीं है। आज के समय में हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है तथा पुलिस घूस लेकर अपराधियों को नहीं पकड़ती जिस कारण पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिलता इसके अलावा पुलिस राजनेताओं के दबाव में भी कार्य करती है तथा अपराध को छिपाकर अपराधी को नहीं पकड़ती इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज में महिला सुरक्षा में पुलिस अपनी भूमिका का निर्वाह उस प्रकार नहीं करती जैसे करना चाहिए।

## निष्कर्ष

महिलाओं के प्रति हिंसा की समस्या कोई नवीन समस्या नहीं है। प्रारम्भ से ही भारतीय महिलाएँ यातना, शोषण अवमानना इत्यादि का शिकार होती आई है। यद्यपि महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को रोकने के अनेक कानून बनाये गये है। उनके लिए अदालते बनाई गई है। किन्तु वे निश्चित रूप से कारगर नहीं हो पा रही है क्योंकि महिलाओं को अभी भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात् हमारे समाज में महिलाओं के समर्थन में बनाए गए कानूनों, महिलाओं में शिक्षा के प्रचार और महिलाओं की धीरे–धीरे बढ़ती हुई आर्थिक स्वतंत्रता के बावजूद असंख्य महिलाएँ अब भी हिंसा की शिकार है। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कराने के लिए पुलिस की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके लिए पुलिस को अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। लेकिन वर्तमान में पुलिस अपनी भूमिका का निर्वाह ठीक प्रकार से नहीं कर रही है। पुलिस को अपने दायित्वों को पूरा करना चाहिए। जिससे समाज में महिला सुरक्षा बनी रहे तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार हो सके।

## सुझाव

- महिलाओं की शिकायत पर तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए।
- पीड़ित महिलाओं के साथ विनम्रतापूर्वक वार्तालाप करके शिकायत दर्ज करनी चाहिए न कि अभद्र शब्दों का प्रयोग करके।
- अपराध को संज्ञान में लेते हुए अपराधी को पकड़ने का प्रयत्न करें।
- रिश्वत–घूस आदि लेने जैसे नकारात्मक कार्यो से बचें तथा अपनी ईमानदारी से कार्य करें।
- समाज में पीड़ित तथा गरीब महिलाओं को आवश्यक सहयोग प्रदान करना चाहिए।
- अपने कर्तव्यो का सही ढंग से पालन करके जनता के विश्वास को प्राप्त करना चाहिए।

## सन्दर्भ


1. मेहता, चेतनः महिला एवं कानून एवं कानून, अशीष पब्लिशंग हाऊस, नई दिल्ली, 1996
2. गर्ग, प्रियंकाः महिला विवाह, दहेज एवं दाम्पत्य, मार्क पब्लिशिंग, नई दिल्ली, 2015
3. कुलप्रेणना, नीलमः धर्म की बेड़िया खेल रही हैं औरत, नवचेतन प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008
4. भारती, अनिताः समकालीन नारीवाद और दलित स्त्री का प्रतिरोध, स्वराज प्रकाशन, नई दिल्ली, 2013
5. पाण्डेय, करूणाः जाति वर्ग और महिला, नेश्नल पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2008
6. श्रानी, डॉ0 आशुः महिला विकास कार्यक्रम, इना श्री पब्लिशर्स, जयपु 1997
7. भासि, कान्ताः महिला उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना तथा दहेज हत्या, पोइन्टर पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2004